

सं०सं०-शि०शु०नि०सं०-०१ / १७

बिहार सरकार

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार यादव,  
उप निदेशक (चि०शि०)-सह- प्रभारी सचिव  
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)  
बिहार, पटना,  
वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय :- डा० अखिलेश चन्द्रा, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय सम्प्रति- अध्यक्ष शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के वेतन पर्ची निर्गत करने के संबंध में।  
प्रसंग :- स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक ४२५(५) दिनांक १९.०४.२०१७ एवं पत्रांक ४४८(१) दिनांक १३.०४.२०१७

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक संदर्भ में कहना है कि माननीय न्यायमूर्ति डा० अखिलेश चन्द्रा, सेवा निवृत्त सम्प्रति- अध्यक्ष शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु पत्रांक ४२५(५) दिनांक १९.०४.२०१७ के द्वारा अनुरोध किया गया है। परन्तु वेतन पर्ची अभी तक अप्राप्त है जिसका उनके वेतन आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

अतः पुनः पूर्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेतन पर्ची हेतु भेजी गयी पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए आग्रह कि यथाशीघ्र वेतन पर्ची निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

३०/-

(डा० अशोक कुमार यादव)

उप निदेशक (चि०शि०)-सह- प्रभारी सचिव  
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ०२ / उ०नि०को०, स्वा०, पटना, दिनांक ०२/०६/१७

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

३०/०६/१७

उप निदेशक (चि०शि०)-सह- प्रभारी सचिव  
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।